प्रेस नोट

सराहनीय कार्य कानपुर देहात
दिनांक- 03.02.2026

- **थाना डेरापुर पुलिस टीम द्वारा कार्यवाही करते हुए नाबालिग बालिका को बहला फुसला कर ले जाने व दुष्कर्म की घटना कारित करने वाले 01 अभियुक्त को गिया गया गिरफ्तार।**

कृपया अवगत कराना है कि जनपद कानपुर देहात में महिला सम्बन्धी अपराधों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे विशेष अभियान के क्रम में थाना डेरापुर पर दिनांक 30.01.2026 को वादिनी द्वारा शिकायती प्रार्थना दिया गया जिसमें वादिनी की नाबालिग पुत्री उम्र 16 वर्ष को दिनांक 24.01.2026 की रात्रि को गांव के विपक्षी जयवीर पुत्र साहूकार निवासी ग्राम मोहर सिंह का पुरवा थाना डेरापुर जनपद कानपुर देहात द्वारा बहला फुसलाकर भगा ले जाने, विपक्षी जयवीर के घरवालो से शिकायत करने पर गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी देने के सम्बन्ध में मु0अ0सं0-023/2026 धारा-137(2)/87/352/351(3) बीएनएस का अभियोग पंजीकृत किया गया। विवेचक द्वारा पीड़िता की बरामदगी करते हुये धारा 183 BNSS के बयान, मेडिकल परीक्षण व अन्य साक्ष्य संकलन के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 64(1) बीएनएस व 3/4 पॉस्को एक्ट की बढ़ोत्तरी की गयी। थाना डेरापुर पुलिस द्वारा मुकदमा उपरोक्त में कार्यवाही करते हुए मुखबिर की सूचना पर नामित अभियुक्त जयवीर पुत्र साहूकार, निवासी ग्राम मोहर सिंह का पुरवा, थाना डेरापुर, जनपद कानपुर देहात को डुबकी पुल के पास से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारशुदा अभियुक्त उपरोक्त को नियमानुसार माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

गिरफ्तारशुदा अभियुक्त का विवरण-

1.जयवीर पुत्र साहूकार उम्र 22 वर्ष निवासी ग्राम मोहर सिंह का पुरवा, थाना डेरापुर, जनपद कानपुर देहात।

गिरफ्तार करने वाली थाना डेरापुर पुलिस टीम-

1. उ0नि प्रशान्त कुमार
2. का0 196 रवि कुमार
3. का0 1207 रविश कुमार।